



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)

विज्ञापन सं. 03/ कार्यालय परिचारक//2024-25

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में ग्रुप 'सी' में कार्यालय परिचारक के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. अभ्यर्थी 02 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच नाबार्ड की वेबसाइट [www.nabard.org](http://www.nabard.org) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नाबार्ड अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है जिस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है और जो समान अवसर देने वाला नियोक्ता है.

आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी सभी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि वे पद हेतु सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. नाबार्ड अपेक्षित लागू परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को शामिल करेगा और भर्ती प्रक्रिया/ कार्यग्रहण के चरण में उनकी पात्रता सत्यापित की जाएगी. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी मिथ्या/ गलत है अथवा यदि बैंक के अनुसार अभ्यर्थी पद हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे साक्षात्कार में शामिल होने/ सेवा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि केवल बैंक की वेबसाइट [www.nabard.org](http://www.nabard.org) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें. किसी अन्य पद्धति से किया गया आवेदन नाबार्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

**सहयोग की सुविधा:** फॉर्म भरने, शुल्क/ सूचना प्रभार के भुगतान या बुलावा पत्र को डाउनलोड करने में यदि कोई समस्या आती है तो <http://cgrs.ibps.in/> पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. कृपया ई-मेल के विषय के रूप में "नाबार्ड कार्यालय परिचारक परीक्षा" लिखना न भूलें.

### महत्वपूर्ण तिथियाँ/ समय-सीमा

ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क/ सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान	02 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024
ऑनलाइन परीक्षा	21 नवंबर 2024

@ नाबार्ड को परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन करने का अधिकार है ऑनलाइन परीक्षा कार्य दिवसों/ सप्ताह के अंत में आयोजित की जाएगी.

तालिका - 1

1. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण – कार्यालय परिचारक (ओए)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	संवर्ग						दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	अक्षम भूतपूर्व सैनिक
		अना	अजा	अजजा	अपिव	आकव	कुल			
1	आंध्र प्रदेश	2	0	0	0	0	2	3	19	4
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	1			
3	बिहार	2	0	0	1	0	3			
4	छत्तीसगढ़	1	0	1	0	0	2			
5	गोवा	2	0	0	0	0	2			
6	गुजरात	1	0	0	1	1	3			
7	हरियाणा	3	0	0	0	0	3			
8	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	2			
9	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	1	0	2			
10	झारखंड	2	0	0	0	0	2			
11	कर्नाटक (बर्ड मंगलुरु सहित)	4	1	0	2	1	8			
12	केरल	3	0	0	1	1	5			
13	मध्य प्रदेश	2	1	1	0	1	5			
14	महाराष्ट्र (प्रधान कार्यालय, मुंबई सहित) @	10	0	8	14	3	35			
15	मणिपुर	1	0	0	0	0	1			
16	मेघालय	1	0	0	0	0	1			
17	मिज़ोरम	1	0	0	0	0	1			
18	नई दिल्ली	1	0	0	1	0	2			
19	ओडिशा	4	0	1	0	0	5			

20	पंजाब	1	0	0	1	0	2			
21	राजस्थान	1	0	1	0	1	3			
22	तमिलनाडु	2	1	0	1	1	5			
23	तेलंगाणा	0	0	0	1	0	1			
24	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	1			
25	उत्तर प्रदेश (एनबीएससी सहित) @	2	1	0	1	1	5			
26	उत्तराखंड	2	0	0	0	0	2			
27	पश्चिम बंगाल	2	0	0	2	0	4			
	<b>कुल</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>108</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>4</b>

**नोट:** कर्नाटक में कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु के लिए 6 रिक्तियाँ और बर्ड, मंगलुरु के लिए 2 रिक्तियाँ शामिल हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए 2 रिक्तियाँ और प्रधान कार्यालय, मुंबई के लिए 33 रिक्तियाँ शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए 3 रिक्तियाँ और राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ के लिए 2 रिक्तियाँ शामिल हैं।

@ बैकलॉग रिक्ति, विवरण निम्नानुसार शामिल हैं:

राज्य	संवर्ग	रिक्तियाँ
महाराष्ट्र	अजजा	08
	अपिव	02
ओडिशा	अजजा	01
उत्तर प्रदेश	अपिव	01

**§ संवर्ग-वार दिव्यांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों के लिए तालिका II देखें।**

संक्षेपाक्षर: अजा – अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जन जाति, अपिव – अन्य पिछड़े वर्ग, यूआर - अनारक्षित, आकव – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क विकलांगता, ईएक्सएस-भूतपूर्व सैनिक, डीआईएस-ईएक्सएस -दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रित।

- राज्य विशिष्ट मानदंडों के लिए आरक्षण के अनुसार अजा, अजजा और अपिव के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण होगा। पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक श्रेणी के लिए क्षैतिज आरक्षण होगा।
- (i) विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण परिणाम को अंतिम रूप देते समय प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- (ii) बैंक अपने विवेक से किसी भी मानदंड/रिक्तियों, चयन की विधि आदि को बदलने (रद्द करने/संशोधित करने/जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक अपने विवेक से चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आंशिक रूप से भर्ती को रोकने/पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

नोट: उम्मीदवार केवल एक राज्य में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडब्ल्यूबीडी/ आकव/ ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा.

**दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश:**

- क. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों जैसे यूआर, अजा, अजजा, अपिव, आकव के लिए निर्धारित समग्र राज्य-वार रिक्तियों के भीतर, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण कुल रिक्तियों का @ 4% क्षैतिज रूप से लागू किया जाएगा.
- ख. अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडब्ल्यूबीडी/ आकव श्रेणी के अभ्यर्थी आयु में छूट और आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट के लिए पात्र होंगे. हालांकि, उन्हें सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा.  
ईएक्सएस के लिए आरक्षण कुल रिक्तियों का @ 24.5% लागू किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5% का आरक्षण शामिल होगा, जो विभिन्न श्रेणियों जैसे यूआर, अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित समग्र राज्यवार रिक्तियों के भीतर क्षैतिज रूप से एक साथ जोड़ा जाएगा.
- ग. अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ आकव से संबंधित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि रिक्तियां उनके राज्य में उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं हैं. हालांकि, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के बराबर उम्र और शैक्षिक योग्यता के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. तथापि, जहां कहीं लागू हो, वे शुल्क रियायत के पात्र होंगे.
- घ. अपिव संवर्ग से संबंधित अभ्यर्थी लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने वाले अपिव आरक्षण के हकदार नहीं हैं. उन्हें श्रेणी को 'सामान्य' (यूआर) के रूप में इंगित करना चाहिए.

1. **आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले अपिव आवेदकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
  - a. आकव संवर्ग के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र' के उत्पादन पर प्राप्त किया जा सकता है. आकव के आरक्षण लाभ का लाभ लेने वाले आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आकव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी किया गया है.
  - b. भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यक विभिन्न प्रमाणपत्रों के प्रारूप हमारी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हैं [www.nabard.org](http://www.nabard.org) - कैरियर नोटिस.

**2. परिभाषा:**

**i) भूतपूर्व सैनिक**

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित निर्देशों के अनुसार मानदंडों को पूरा करना चाहिए.

ii) **दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक:** भूतपूर्व सैनिक जो सशस्त्र बलों में सेवा करते समय दुश्मन के खिलाफ या अशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन में अक्षम हो गए थे, उन्हें विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के रूप में माना जाएगा.

iii) **कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित:** निम्नलिखित ऑपरेशनों में मारे गए सैनिकों को सैन्य सेवा के कारण कार्रवाई में मारे गए माना जाएगा (क) युद्ध (ख) युद्धविराम रेखा पर पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ युद्ध जैसे अभियान या सीमा पर झड़पें (ग) नगालैंड, मिजोरम, आदि जैसे उग्रवाद विरोधी माहौल में सशस्त्र शत्रुओं के खिलाफ लड़ना. (ड) विदेश में शांति मिशन के साथ सेवा करना (च) दुश्मन की खानों सहित बारूदी सुरंगों को बिछाना या साफ करना और साथ ही किसी ऑपरेशन के समापन के एक महीने पहले और तीन महीने के बीच माइन स्वीपिंग ऑपरेशन (छ) वास्तविक संक्रियाओं के दौरान अथवा सरकार द्वारा विनिदष्ट अवधि के दौरान फ्रॉस्ट-बाइट (ज) आंदोलनकारी अर्धसैनिक बलों के कर्मियों से निपटना (झ) श्रीलंका में अभियानों के दौरान आईपीकेएफ कर्मी मारे गए.

**नोट:**

क. ऐसे अभ्यर्थी, जो सशस्त्र बलों से रिलीव/सेवानिवृत्त हैं, या जिनके 01 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त/रिहा होने की संभावना है, केवल इस भर्ती के तहत आवेदन करने के पात्र हैं. उन्हें नाबार्ड में शामिल होने के समय एक स्व-घोषणा के साथ रिलीज पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार पूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों के हकदार हैं. वे अभ्यर्थी, जो पहले ही नियुक्ति की अपनी प्रारंभिक अवधि पूरी कर चुके हैं और एक विस्तारित असाइनमेंट पर हैं, उन्हें इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. यदि चुना जाता है, तो ऊपर उल्लिखित ऐसे सभी अभ्यर्थियों को **01 अक्टूबर 2025** को या उससे पहले नाबार्ड की सेवा जॉइन करनी होगी.

ख. प्रादेशिक सेना के कर्मिकों को 15 नवंबर, 1986 से भूतपूर्व सैनिकों के रूप में माना जाएगा.

ग. सिविल पक्ष पर सरकारी नौकरी में पुनः रोजगार के उद्देश्य के लिए एक पूर्व सैनिक को आरक्षण का लाभ डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014 स्था (आरईएस) दिनांक 14 अगस्त 2014 में निहित निर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगा.

घ. कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित आरक्षण के लिए पात्र हैं. आरक्षण कुल रिक्तियों का @4.5% दिव्यांग पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रदान किया जाएगा, एक साथ क्लब किया जाएगा. नियुक्ति के मामले में पहली प्राथमिकता दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी प्राथमिकता कार्रवाई में मारे गए या गंभीर रूप से विकलांग रक्षा कर्मियों के आश्रितों (रक्षा सेवाओं के कारण 50% से अधिक दिव्यांगता के साथ) को दी जाएगी. इस छूट के प्रयोजन के लिए, परिवार के सदस्यों में उसकी विधवा, पुत्र, पुत्री या उसके निकट संबंधी शामिल होंगे जो उसके परिवार का समर्थन करने के लिए सहमत हैं. दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध ऊपरी आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता में छूट कार्रवाई में मारे गए या गंभीर रूप से दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

iv) **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति:**

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 में प्रदान की गई दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों पर लागू दिव्यांगता की परिभाषाओं का पालन किया जाएगा.

केवल निम्नलिखित श्रेणियों के पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी कार्यालय परिचारक के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

**तालिका सं. II**  
**बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियाँ**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के अनुसार विभिन्न पदों के लिए पहचान की गई उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगताएँ.

पहचान की गई श्रेणियाँ	पदों के लिए उपयुक्त अक्षमता की प्रकृति	रिक्तियाँ	कार्य संबंधी आवश्यकताएँ
श्रेणी (अ)	नेत्रहीन (बी) कम दृष्टि (एलवी)	01	
श्रेणी (आ)	बुहरा (बी) ऊँचा सुनने वाला (एचएच)	01	
श्रेणी (इ)	एक भुजा प्रभावित (ओए), एक टांग प्रभावित (ओएल), एक भुजा और एक टांग प्रभावित (ओएएल), प्रमस्तिष्किय पक्षाघात (सीपी), कुष्ठ उपचारित (एलसी), बौनापन (डीडब्ल्यू), एसिड हमला पीड़ित (एएवी), लिंब डिस्पंक्शन वाले स्पाइनल डिफॉर्मिटी (एसडी)/ स्पाइनल इंजरी (एसआई) वाले व्यक्तियों को संबंधित उपश्रेणी ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के तहत कवर किया जाएगा) तंत्रिका संबंधी/ लिंब डिस्पंक्शन के बिना स्पाइनल डिफॉर्मिटी (एसडी)/ स्पाइनल इंजरी (एसआई)	01	एस- बैठना डब्ल्यू - चलना एमएफ - उंगलियों से हेरफेर आरडब्ल्यू - पढ़ना और लिखना एसई - देखना
श्रेणी (ई)	ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिऑर्डर (अत्यल्प) (एसडी) (एम), एसएलडी - विशिष्ट शिक्षा अक्षमता आईडी - बौद्धिक अक्षमता एमआई - मानसिक बीमारी	00	सी- संचार
श्रेणी (उ)	एमडी - बहु दिव्यांगता (उपरोक्त अ से ई मिलाकर)	00	

**नोट:** केवल बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे. "बेंचमार्क दिव्यांगता" का अर्थ है एक निर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% से कम नहीं वाला व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यांगता को प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित एक औसत दर्जे की अवधि में परिभाषित किया गया है.

एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे आवेदन में निवास के प्रमाण में उल्लिखित आवेदक के निवास के जिले में चिकित्सा प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणन प्राधिकरण) द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में नवीनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऐसा प्रमाणपत्र सत्यापन/पुनः सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है. **प्रमाण पत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि पर या उससे पहले दिनांकित होना चाहिए.**

ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के संदर्भ में समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं.

### 3. स्क्राइब का उपयोग करने वाले पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपनी लागत पर अपने स्वयं के स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं, नीचे दी गई शर्तों के अधीन (i) और (ii)। ऐसे सभी मामलों में जहां एक स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

क. भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगता मामलों के विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 26 फरवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन F.No.16-110/2003-DDIII द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी.

ख. भारत सरकार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 26 फरवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन फा. सं. 16-110/2003-डीडीIII द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी.

ग. उम्मीदवार को अपने स्वयं के खर्च पर अपने स्वयं के स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.

घ. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित स्क्राइब एक ही परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए. यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.

ङ. जो अभ्यर्थी परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना चाहिए. बाद के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है.

च. एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी का स्क्राइब नहीं हो सकता.

छ. स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक धारा से हो सकता है.

ज. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा, और अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी. स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कार्मिक द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है.

झ. अभ्यर्थी और साथ ही स्क्राइब दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जो पुष्टि करता है कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है. इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या भौतिक तथ्यों को दबा दिया है, तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, भले ही ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो.

1. वचन-पत्र के लिए प्रारूप नाबार्ड की वेबसाइट [www.nabard.org](http://www.nabard.org) पर उपलब्ध है. वे अभ्यर्थी जो स्क्राइब का उपयोग करते हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे या अन्यथा सूचित किया जाएगा.

2. केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें दी जाएंगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसे समय की अनुमति

देना संभव नहीं होगा यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है. प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी.

1. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों (जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है) पर लागू निर्देशों के अलावा, निम्नलिखित नियम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लागू होंगे, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति.
  - स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें लिखित रूप में कठिनाई हो रही है, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की सीमा है और वह स्क्राइब परिशिष्ट-I में प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से अपनी ओर से परीक्षा लिखना आवश्यक है.
  - एक स्क्राइब की योग्यता, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए. स्वयं के स्क्राइब का चयन करने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-I में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए.

(i) **चालन निःशक्तता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

चालन निःशक्तता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले जिन अभ्यर्थियों के लिखनेवाले हाथ के अग्र भाग की काम करने की क्षमता कम है (कम से कम 40% क्षति), उन्हें प्रति घंटा बीस मिनट अथवा अन्यथा यथासूचित क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा.

(ii) **दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जिनकी अक्षमता 40% से कम नहीं है) यह विकल्प दे सकते हैं कि वे फॉन्ट का आकार बड़ा कर जाँच परीक्षा की विषय-वस्तु को देखें और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए बीस मिनट क्षतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे. परीक्षा की विषय-वस्तु को आवर्धक फॉण्ट में देखने की सुविधा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होगी जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करते हैं.

**अ. दृष्टि बाधित (वीआई):** केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से पीड़ित हैं, सर्वोत्तम सुधार के बाद, आवेदन करने के पात्र हैं।

**(क) अंधत्व (आ):**

1. दृष्टि की कुल अनुपस्थिति; अथवा
  - i. आंखों में दृश्य तीक्ष्णता **3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम** सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; अथवा
  - ii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री या उससे कम के कोण को घटाती है.

**(ख) कम दृष्टि:**



- i. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में नहीं
1. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में नहीं
2. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा, 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना।

#### अ. श्रवण बाधित (एचआई):

(क) बहरा (डी): इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि है।

(ख) श्रवण बाधित (एचएच): इसका अर्थ है कि व्यक्ति के दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता कम हो गई है।

पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों (जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है) पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

**ग. लोकोमोटर दिव्यांगता (एलडी):** मस्क्युलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की बीमारी के कारण व्यक्ति की खुद की और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग ठीक होना, बौनापन, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक पीड़ित शामिल हैं। अस्थि विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ लोकोमोटर विकलांगता के तहत कवर किया जाता है:

क. ओए - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)

ख. ओएल - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)

ग. बीए - दोनों भुजाएं प्रभावित.

घ. बीएल - दोनों पैर प्रभावित.

ड. ओएएल - एक हाथ एक पैर प्रभावित.

ओए और ओएएल श्रेणी वाले व्यक्तियों के द्विपक्षीय हाथ सामान्य रूप से कार्य करने चाहिए.

(i) "कुछ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति" (एलसी) का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुछ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है:

क. हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में भी संवेदना की हानि और पक्षाघात लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

ख. प्रकट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होती है जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

ग. अत्यधिक शारीरिक विकृति तथा अधिक आयु, जो उसे कोई लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती हो, तथा "कुष्ठ रोग ठीक हो जाना" की व्याख्या तदनुसार की जाएगी;

(ii) "सेरेब्रल पाल्सी" (सीपी) का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

(iii) "बौनापन" (डीडबल्यू) का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(iv) "मांसपेशी डिस्ट्रॉफी" (एमडीवाई) का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को हिलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और जानकारी का अभाव होता है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है. इसकी विशेषता प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में दोष और मांसपेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(v) "एसिड अटैक पीड़ित" (एएवी) का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति.

ई. केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

(i) "विशिष्ट अधिगम विकलांगता" (एसएलडी) का अर्थ स्थितियों के एक विषम समूह से है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगता, डिस्ट्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं.

(ii) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार" (एसडी) एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में प्रकट होती है, जो व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है.

(iv) "मानसिक बीमारी" (एमआई) का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक महत्वपूर्ण विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा चिह्नित है.

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं. आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि तक या उससे पहले उन्हें ऐसे लाभों के लिए निर्धारित दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रमाण पत्र भी अपने पास रखना चाहिए.

#### 4. कार्यालय परिचारक के कार्य का स्वरूप

1. फाइलें, कागजात आदि ले जाना.

2. उन्हें अलमारी से निकालकर अलमारी में रखना।Stitching and binding of records.
3. कर्मचारियों को पानी और पेय पदार्थों की आपूर्ति।
4. कर्मचारियों के लिए चाय, भोजन आदि तैयार करना और परोसना.
5. रसोइयों की मदद करना और लाउंज का रखरखाव करना.
6. सभी आकस्मिक और/या संबंधित कार्य करना.
7. वायरमैन, लिफ्टमैन, कुक के कर्तव्यों का निर्वहन करना.
8. साइक्लोस्टाइलिंग और जेरोक्स/फोटोकॉपी मशीनों सहित कार्यालय उपकरणों का संचालन, जैसा कि नाबार्ड द्वारा सौंपा जा सकता है.
9. केन्द्रीय प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग से संबंधित कार्य करना.
10. अभिलेखों का रखरखाव.
11. ग्रेड 'एफ' और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी और मुख्यालय में विभागाध्यक्षों पर भी.
12. ऐसे अधिकारियों की देखभाल करने वाला स्टाफ, ऐसे अधिकारियों से संबंधित फाइलें, कागजात आदि ले जाने, उन्हें अलमारियों से निकालने और उनमें रखने तथा ऐसे अधिकारियों से उनके विभागों/अनुभागों तक मामले ले जाने आदि के कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा.
13. ऐसे अधिकारियों को पानी और पेय पदार्थ की आपूर्ति तथा चाय, भोजन आदि परोसना तथा सभी प्रासंगिक और/या संबंधित कार्य करना.
14. कार्यालय परिचारक/ वरिष्ठ कार्यालय परिचारक/ विशेष कार्यालय परिचारक/ वरिष्ठ विशेष कार्यालय परिचर के कर्तव्य/ कार्य परस्पर परिवर्तनीय हैं।

5. **पात्रता मानदंड: शैक्षणिक अर्हता**  
(01 अक्तूबर 2024 की स्थिति के अनुसार)

i. अभ्यर्थी को उस राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से 10वीं कक्षा (एस.एस.सी./मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है. यह योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए.

i. उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जो उस क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता हो जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है. बैंक अभ्यर्थी की निवास स्थिति के समर्थन में कोई भी वैध दस्तावेज़ माँगने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

ii. अभ्यर्थी 01.10.2024 तक पूर्व स्नातक होना चाहिए. स्नातक और उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन/नियुक्ति के समय और/या भर्ती प्रक्रिया के दौरान बैंक द्वारा मांगे जाने पर इस संबंध में स्व-घोषणा देनी होगी.

- iii. भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी को कम से कम 10वीं कक्षा (एसएससी/मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कम से कम 15 वर्ष की रक्षा सेवा प्रदान की होनी चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने सशस्त्र बलों के बाहर से स्नातक की उपाधि प्राप्त न की हो।

### नोट:

क) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न राज्यों में एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो केवल अंतिम प्रस्तुत आवेदन ही वैध माना जाएगा तथा अन्य सभी आवेदनों के लिए जमा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

ख) अभ्यर्थी के पास **01 अक्टूबर 2024** तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की 10वीं कक्षा (एस.एस.सी./मैट्रिकुलेशन) परीक्षा का परिणाम **01 अक्टूबर 2024** को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिन अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा (एस.एस.सी./मैट्रिकुलेशन) के परिणाम **02 अक्टूबर 2024** को या उसके बाद घोषित किए गए हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

## 6. आयु (01-10-2024 को)

अभ्यर्थी की आयु **01/10/2024** को 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म **02/10/1994** से पहले और **01/10/2006** के बाद नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों दिन सम्मिलित) वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

### ऊपरी आयु सीमा में छूट:

ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:

क्रम सं	संवर्ग	आयु सीमा में छूट
(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष तक, अर्थात् 35 वर्ष तक
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)	3 वर्ष तक, यानि 33 वर्ष तक
(iii)	बेचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	10 वर्ष (सामान्य), 13 वर्ष (अपिव) और 15 वर्ष (अजा/ अजजा)
(iv)	पूर्व सैनिक	सशस्त्र बलों में उनके द्वारा की गई सेवा की सीमा तक तथा 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि, जो अधिकतम 50 वर्ष होगी।
(v)	विधवाएँ/तलाकशुदा महिलाएँ/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएँ जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है	10 वर्ष तक

नोट: उपरोक्त मर्दों के अंतर्गत या किसी अन्य मद के साथ संयोजन में संचयी आयु में छूट उपलब्ध नहीं होगी।

## 7. जाति मानदंड:

i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में नामित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है तथा वह गांव/कस्बा जहां का अभ्यर्थी सामान्यतः निवासी है, का उल्लेख हो. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके जाति/समुदाय के प्रमाण पत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (अपिव श्रेणी के लिए केंद्रीय सूची में अपिव जातियों के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों की सूची [www.ncbc.nic.in](http://www.ncbc.nic.in) साइट पर उपलब्ध है, अजजा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची [www.ncst.nic.in](http://www.ncst.nic.in) साइट पर उपलब्ध है और अजा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची [www.socialjustice.nic.in](http://www.socialjustice.nic.in) साइट पर उपलब्ध है. जाति के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा अपिव प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं में आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है.

ii) किसी अभ्यर्थी का अपिव दावा उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं. इसलिए, एक उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में चला गया है, उसे एक अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता के अपिव प्रमाण पत्र के आधार पर उस राज्य से जारी किया जाना चाहिए, जिससे वह (पिता) मूल रूप से संबंधित है.

iii) इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहले से दर्शाई गई सामुदायिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी.

iv) आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय/बैंक द्वारा बुलाए जाने पर आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी.

महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से जांच समिति द्वारा जारी "वैधता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है.

अपिव अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01/04/2024 के बाद जारी किया जाना चाहिए.

## 8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण:

ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है और जो ईडब्ल्यूएस के लिए भारत सरकार के मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचान की जानी है. आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी.

इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या है, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:

- i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि.
- ii. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
- iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड
- v. भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है.

**अस्वीकरण:** "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं. नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है."

ईडब्ल्यूएस को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं.

## 9. चयन प्रक्रिया

चयन ऑनलाइन टेस्ट (जैसा कि नीचे दिया गया है) और भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) के आधार पर किया जाएगा।

### I. ऑनलाइन परीक्षा

क्रम सं.	परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
1	तर्क की परीक्षा	30	30	कुल समय 90 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा	30	30	
3	सामान्य ज्ञान	30	30	
4	संख्यात्मक क्षमता	30	30	
	कुल	120	120	

### II. भाषा प्रवीणता परीक्षा

सभी चयनित/प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) से गुजरना होगा. एलपीटी संबंधित राज्य/जिस राज्य के लिए उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन किया है, उसकी आधिकारिक भाषा में आयोजित की जाएगी. एलपीटी क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी. एलपीटी में उत्तीर्ण न होने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. आयोजित की जाने वाली एलपीटी का विवरण ऑनलाइन परीक्षा परिणाम घोषित होने के

बाद नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. इस संबंध में, संबंधित राज्य/राज्यों के एलपीटी के लिए निर्दिष्ट भाषा/भाषाओं की सूची अनुलग्नक I में दी गई है.

### III. परीक्षा की योजना:

- i. अंग्रेजी भाषा को छोड़कर ऑनलाइन परीक्षा द्विभाषी रूप में उपलब्ध होगी, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में.
- ii. केवल ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन टेस्ट में कट ऑफ अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
- iii. ऑनलाइन टेस्ट में गलत उत्तरों के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, परीक्षा में दंड के रूप में 1/4 अंक काटा जाएगा.
- iv. एल.पी.टी. अनिवार्य है. किसी भी अभ्यर्थी को एल.पी.टी. में शामिल होने से किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, यह परीक्षा संबंधित कार्यालयों में आयोजित की जाएगी.
- v. एल.पी.टी. क्वालिफाइंग प्रकार की होगी. ऑन-लाइन टेस्ट से अनंतिम रूप से चयनित/प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को अनिवार्य भाषा प्रवीणता परीक्षा (एल.पी.टी.) से गुजरना होगा.
- vi. किसी राज्य विशेष में पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य की आधिकारिक भाषा में प्रवीण होना चाहिए (अर्थात् उन्हें उस भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए).
- vii. राज्य की राजभाषा संबंधित राज्य के राजपत्र में घोषित मुख्य भाषा होगी.
- viii. एलपीटी संबंधित राज्य (क्षेत्रीय कार्यालय)/जिस राज्य के लिए उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन किया है, उसकी आधिकारिक/स्थानीय भाषा में आयोजित की जाएगी (अनुलग्नक-I). एलपीटी उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवार को चयन के लिए नहीं माना जाएगा। एलपीटी की तिथि वेबसाइट पर संक्षिप्त सूचना के साथ प्रदर्शित की जाएगी.
- ix. परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना पुस्तिका में दी जाएगी, जिसे अभ्यर्थियों को नाबार्ड की वेबसाइट से परीक्षा के लिए कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
- x. जिन उम्मीदवारों ने **ऑनलाइन परीक्षा** के आधार पर एलपीटी के लिए अर्हता प्राप्त की है, उनके रोल नंबर नाबार्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे.
- xi. चयन के लिए अनंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों की चयन सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. नियुक्ति पद के लिए पात्रता के सत्यापन और ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अधीन है.
- xii. किसी अभ्यर्थी की अंतिम नियुक्ति मेरिट के क्रम में ऑनलाइन टेस्ट में प्रदर्शन, एलपीटी में अर्हता प्राप्त करना, मेडिकल फिटनेस, प्रमाण पत्रों का सत्यापन और बायोमेट्रिक डेटा/पहचान सत्यापन आदि के आधार पर बैंक की संतुष्टि पर निर्भर करेगी. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा.
- xiii. ऑनलाइन परीक्षा के दौरान आवेदकों द्वारा अन्य आवेदकों की मदद लेने की संभावना को दूर करने के उद्देश्य से, बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए परीक्षा में उपस्थित अन्य आवेदकों के साथ आवेदकों के उत्तरों का विश्लेषण करेगा. इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह संदेह है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक संदिग्ध आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इसलिए, आवेदकों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल न हों.

- xiv. यदि कोई अभ्यर्थी नाबार्ड द्वारा छद्मवेश धारण करने या छेड़छाड़ किए गए जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत या झूठे बयान देने या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेने या परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया जाता है या पाया गया है, तो उसे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- xv. ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी सूचना पुस्तिका में दी जाएगी, जिसे अभ्यर्थी नाबार्ड की वेबसाइट से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं।

**कट-ऑफ दो चरणों में लागू किया जा सकता है: (i) व्यक्तिगत परीक्षणों में प्राप्त अंकों पर, (ii) कुल अंकों पर**

**चूंकि रिक्तियां राज्यवार निर्धारित की गई हैं, इसलिए अभ्यर्थियों की मेरिट सूची राज्यवार तैयार की जाएगी।**

### चयन प्रक्रिया:

अंतिम चयन के लिए राज्यवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची के लिए माना जाएगा।

“वर्टिकल रिजर्वेशन” के अंतर्गत आने वाले एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए राज्यवार अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। “क्षैतिज आरक्षण” के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूबीडी/ईएक्सएस/डीआईएस-ईएक्सएस अभ्यर्थियों के लिए अखिल भारतीय आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अभ्यर्थियों को उनके निवास राज्य/यूटी के अनुसार उन केंद्रों/राज्यों/यूटी में पोस्ट किया जाएगा।

#### i. टाई मामलों का समाधान:

ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, निम्नलिखित विधियों को एक के बाद एक लागू करके बराबरी का समाधान किया जाएगा:

क) उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला उम्मीदवार (केवल पूर्व स्नातक योग्यता)।

ख) योग्यता में बराबरी होने की स्थिति में, 12वीं/10वीं में उच्च अंक वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाएगी।

ग) आगे टाई-अप के मामले में, अधिक आयु को प्राथमिकता दी जाएगी।

#### ii. प्रतीक्षा सूची:

रिक्तियों की 50% तक की प्रतीक्षा सूची (राज्य-श्रेणी के अनुसार) या न्यूनतम तीन की सीमा तक प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी। चयनित सूची के अभ्यर्थियों के शामिल न होने पर प्रतीक्षा सूची से ही उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। पैनल की वैधता अंतिम परिणाम की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

#### **बायोमेट्रिक डेटा - कैप्चरिंग और सत्यापन**

ऑनलाइन परीक्षा के दिन, परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे का निशान या अन्यथा) और फोटोग्राफ लेने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा के बाद और एलपीटी के दौरान इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा, बाद में भी इसका सत्यापन किया जाएगा।

बायोमेट्रिक डेटा की स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में सत्यापन प्राधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।



अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- क) यदि उंगलियों पर कोटिंग (स्टैम्पड इंक/मेहंदी/रंग आदि) हो तो उन्हें अच्छी तरह से धो लें ताकि परीक्षा से पहले कोटिंग पूरी तरह से हट जाए.
- ख) यदि उंगलियां गंदी या धूल भरी हों, तो फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उन्हें धोना और सुखाना सुनिश्चित करें.
- ग) सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियाँ सूखी हों. अगर उंगलियाँ नम हैं, तो उन्हें पोंछकर सुखा लें.
- घ) यदि कैप्चर की जाने वाली प्राथमिक उंगली (बायां अंगूठा) घायल/क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें. ऐसे मामलों में अन्य उंगलियों आदि की छाप ली जा सकती है।

### अजा/ अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण

बैंक अजा/ अजजा/ अपिव/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन मोड में निःशुल्क परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है. बैंक अजा/ अजजा/ अपिव/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित उम्मीदवार, जो परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय संबंधित कॉलम में विवरण अवश्य भरना चाहिए. इसके बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, किसी अन्य तरीके से अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा से पहले परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों को आवेदन में दिए गए ईमेल पर सटीक तिथि, समय आदि की जानकारी पहले ही दे दी जाएगी. पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त होने पर ही प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा. (नोट: हिंदी में प्रशिक्षण केवल तभी आयोजित किया जाएगा जब पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त होंगे). केवल परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने से कोई भी उम्मीदवार नाबार्ड में चयनित होने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता.

आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क (ऑनलाइन शुल्क का गैर-वापसी योग्य भुगतान: (02 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक)

पद के लिए आवेदन शुल्क (लागू जीएसटी को छोड़कर) निम्नानुसार होगा:

आवेदक की श्रेणी	आवेदन शुल्क	सूचना शुल्क, आदि.	कुल शुल्क
अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी/ पूर्व सैनिक के लिए For	-	₹. 50	₹. 50*
अन्य सभी	₹. 450	₹. 50	₹. 500*

\* लागू जीएसटी को छोड़कर.

आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए जीएसटी और बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना होगा.

10. परीक्षा केंद्र

क्रम सं.	राज्य	शहर का नाम
1	आंध्र प्रदेश	एलुरु, गुंटूर/विजयवाड़ा, कडपा, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमंड्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टणम, विजयनगरम
2	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन
3	बिहार	आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया
4	छत्तीसगढ़	भिलाई नगर - दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर
5	गोवा	पणजी
6	गुजरात	अहमदाबाद - गांधी नगर, आनंद, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा
7	हरियाणा	हिसार, फ़रीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अम्बाला
8	हिमाचल प्रदेश	बढ़ी, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना
9	जम्मू और कश्मीर	साम्बा, जम्मू, श्रीनगर
10	झारखंड	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची
11	कर्नाटक (बर्ड, मंगलुरु सहित)	बेंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा, हुबली-धारवाड़, मैंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडुपी
12	केरल	अलाप्पुझा, कोच्चि/एर्नाकुलम, कन्नूर, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम
13	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, सागर
14	महाराष्ट्र (प्रका-मुंबई सहित)	अमरावती, अहमदनगर, अकोला, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/एमएमआर क्षेत्र, नागपुर, नांदेड़, पुणे, सोलापुर, नासिक, चंद्रपुर
15	मणिपुर	इम्फ़ाल
16	मेघालय	शिलांग
17	मिज़ोरम	आइज्वाल
18	नई दिल्ली	दिल्ली- एनसीआर
19	ओडिशा	बालासोर, बेरहामपुर (गंजाम), भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, ढेंकनाल
20	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा
21	राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर

22	तमिलनाडु	चेन्नई, कोइंबतूर, इरोड, मदुरै, नागरकोइल/कन्याकुमारी, सेलम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, विरुधुनगर
23	तेलंगाणा	हैदराबाद/सिकंदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल, मेहबूब नगर
24	त्रिपुरा	अगरतला
25	उत्तर प्रदेश (एनबीएससी सहित)	आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज (इलाहाबाद), बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, वाराणसी
26	उत्तराखंड	देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
27	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, बर्दवान, दुर्गापुर, कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी

## 11. परिलब्धियाँ और सेवा शर्तें

(क) **वेतनमान:** चयनित उम्मीदवारों को रु.17270-590(4)-19630-690(3)-21700-840(3)-24220-1125(2)-26470-1400(4)-32070-1900(3)-37770 (20 वर्ष) के वेतनमान में रु.17270/- प्रतिमाह का आरंभिक मूल वेतन मिलेगा, जो ग्रुप 'सी' में कार्यालय परिचारकों के लिए लागू है और वे समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, स्थानीय प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता और ग्रेड भत्ता के लिए पात्र होंगे। वर्तमान में, प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियाँ लगभग रु. 35,000/- हैं।

(ख) **अनुलाभ:** उपलब्ध सुविधाओं में उपलब्धता के आधार पर नाबार्ड का आवासीय निवास, सरकारी प्रयोजन के लिए वाहन के लिए पेट्रोल की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, आवास की साज-सज्जा के लिए भत्ता, आदि, पात्रता के अनुसार, ओपीडी उपचार/अस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा डिस्पेंसरी सुविधा; ब्याज मुक्त त्यौहार अग्रिम, छुट्टी यात्रा रियायत (स्वयं, पति/पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए दो वर्ष में एक बार). आवास, वाहन, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुएँ, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण और अग्रिम. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ग्रेच्युटी और वैकल्पिक समूह अवधि बीमा योजना के लाभ के अलावा परिभाषित अंशदान नई पेंशन योजना द्वारा शासित किया जाएगा. चयनित आवेदक की प्रारंभिक नियुक्ति 06 महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी, जिसे बैंक के विवेक पर, 06 महीने की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है.

(ग) चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभ में उनके निवास स्थान के आधार पर नाबार्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है.

## 12. सामान्य निर्देश:

### (i) कॉल लेटर डाउनलोड करें

ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नाबार्ड की वेबसाइट पर जाना होगा. कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी. एक बार जब अभ्यर्थी संबंधित लिंक पर

क्लिक करता है, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए विंडो तक पहुँच सकता है. अभ्यर्थी को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करना आवश्यक है. उम्मीदवार को पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई तस्वीर को चिपकाना होगा और परीक्षा केंद्र पर (i) कॉल लेटर (ii) फोटो पहचान प्रमाण के साथ उपस्थित होना होगा, जैसा कि नीचे खंड (iii) में निर्धारित है और कॉल लेटर में भी निर्दिष्ट है और मूल फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी है.

### (ii) देर से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी

कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के आरंभ समय से पहले का है. अभ्यर्थियों को परीक्षा की अवधि से लगभग 1 घंटे अधिक समय तक परीक्षा स्थल पर रहना पड़ सकता है, जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉग इन, निर्देश देने आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक समय शामिल है.

### (iii) पहचान सत्यापन

परीक्षा हॉल में, कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की वर्तमान में मान्य फोटो पहचान पत्र (कॉल लेटर पर लिखे नाम के समान ही नाम) की मूल प्रति और फोटोकॉपी जैसे कि पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/फोटोग्राफ सहित बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/आधिकारिक लेटरहेड पर जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/आधार कार्ड/फोटोग्राफ सहित ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए. अभ्यर्थी की पहचान कॉल लेटर पर दिए गए विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जाएगी. यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैध पहचान प्रमाण नहीं हैं.

**नोट:** अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए मूल फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) पर दिखाई देने वाला नाम फोटो पहचान पत्र पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए. जिन महिला उम्मीदवारों ने शादी के बाद पहला / अंतिम / मध्य नाम बदल लिया है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान पत्र में दर्शाए गए नाम के बीच कोई बेमेल है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र / मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे.

### केंद्र खंड

1. परीक्षा संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
2. परीक्षा के लिए केंद्र/स्थल/तिथि/सत्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.
3. तथापि, नाबार्ड अपने विवेकानुसार, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

4. नाबार्ड अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर भी नियुक्ति देने का अधिकार रखता है.
5. अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम और खर्च पर परीक्षा देनी होगी तथा नाबार्ड किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
6. अभ्यर्थी द्वारा एक बार किया गया केंद्र का चयन अंतिम होगा.

यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का चयन नहीं करते हैं, तो नाबार्ड उन अभ्यर्थियों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है अथवा यदि अभ्यर्थियों की संख्या किसी केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो नाबार्ड अभ्यर्थी को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

### 13. आवेदन कैसे करें

योग्य आवेदकों को [www.nabard.org](http://www.nabard.org) वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/विधि स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा के लिए हिंदी भाषा के उपयोग का विकल्प उपलब्ध होगा.

#### विस्तृत दिशानिर्देश / प्रक्रिया

- क. आवेदन पंजीकरण
- ख. आवेदन शुल्क का भुगतान
- ग. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करें और अपलोड करें

**अभ्यर्थी 02 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा.**

#### **पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:**

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे -

- i. फोटोग्राफ (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)

हस्ताक्षर (काली स्याही से)

बाएं अंगूठे का निशान (काली या नीली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर)

हाथ से लिखा हुआ घोषणापत्र (काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर) (नीचे दिया गया पाठ) स्कैन करें.

यह सुनिश्चित करना कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ विज्ञापन में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं.

बाएं अंगूठे का निशान ठीक से स्कैन किया हुआ होना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए। (यदि किसी अभ्यर्थी के पास बायां अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है)

- i. हस्तलिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है - "मैं.....(अभ्यर्थी का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है. मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूँगा/ करूँगी.
- ii. "उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणापत्र अभ्यर्थी की स्वयं की लिखावट में तथा केवल अंग्रेजी में ही होना चाहिए. यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन पत्र को अमान्य माना जाएगा. (दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जो लिख नहीं सकते, वे घोषणापत्र का पाठ टाइप करवा सकते हैं तथा टाइप किए गए घोषणापत्र के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाकर विनिर्देश के अनुसार दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं.)
- iii. अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें.
- iv. आपके पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए. बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से कॉल लेटर डाउनलोड करने/बायोडेटा अपलोड करने आदि की सूचना भेज सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना/प्राप्त करना चाहिए और उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए.
- v. यदि कोई ईमेल अभ्यर्थी के ई-मेल खाते के स्पैम/जंक फ़ोल्डर में डिलीवर हो जाता है तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्पैम/जंक फ़ोल्डर भी चेक करें.

#### 14. आवेदन प्रक्रिया

1. अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट [www.nabard.org/career](http://www.nabard.org/career) पर जाएं, "**APPLY ONLINE**" विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी.
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "**Click here for New Registration**" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें. सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड तैयार किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिए. दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भेजा जाएगा.
3. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तैयार किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. उम्मीदवार को अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिए. दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भेजा जाएगा.

4. यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से दर्ज किए गए डेटा को सहेज सकता है. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें. दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को ध्यान से भरना चाहिए और अंतिम जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित करना चाहिए/सत्यापित करवाना चाहिए कि वे सही हैं.
5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण को स्वयं सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि पंजीकरण पूर्ण करें बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा.
6. आवेदन में अभ्यर्थी या उसके पिता/पति आदि का नाम सही-सही लिखा होना चाहिए, जैसा कि प्रमाण-पत्र/मार्कशीट और परीक्षा के लिए लाए गए वैध पहचान-पत्र में लिखा है. कोई भी बदलाव/परिवर्तन अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर सकता है.
7. अपने विवरण को सत्यापित करें और 'अपने विवरण को सत्यापित करें' और 'सहेजें और अगला' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सुरक्षित करें.
8. अभ्यर्थी बिन्दु "सी" के अंतर्गत फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं.
9. पंजीकरण पूर्ण करने से पहले संपूर्ण आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें.
10. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद ही 'पंजीकरण पूर्ण करें' पर क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड की गई तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं.
11. 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें.

#### क. शुल्क का भुगतान-ऑनलाइन मोड

- आवेदन प्रपत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. भुगतान केवल मास्टर/वीजा/रुपे डेबिट या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है.
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना मिलने तक प्रतीक्षा करें. डबल चार्ज से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएँ.
- लेनदेन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद जेनरेट की जाएगी.
- 'ई-रसीद' न बनना भुगतान विफलता को दर्शाता है. भुगतान विफल होने पर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं.

- अभ्यर्थियों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है. **कृपया ध्यान दें कि यदि इसे जनरेट नहीं किया जा सकता है, तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हो सकता है.**
- **क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए:** सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं. यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा.
- अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें.

● शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण सहित आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा है.

**ख. आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क (गैर-वापसीयोग्य)**

लागू शुल्क वापसी योग्य नहीं है और इसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा. आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना होगा.

**ग. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड के लिए दिशानिर्देश**

**घ. यदि फोटो में हस्ताक्षर या चेहरा स्पष्ट नहीं है तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.**

- ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन पत्र को संपादित कर सकते हैं तथा फोटोग्राफ/हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकते हैं.

**फोटो छवि:**

- फोटोग्राफ हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो होना चाहिए.
- फोटो रंगीन होना चाहिए, तथा उसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग की, अधिमानतः सफेद होनी चाहिए.
- शांत चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें.
- यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो सूर्य को अपने पीछे रखें, या स्वयं को छाया में रखें, ताकि आपकी आंखें सिकुड़ी हुई न हों और कोई तेज़ छाया न पड़े।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना ही है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड आई" न हो.
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें.
- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक हेडवियर की अनुमति है, लेकिन यह आपके चेहरे को नहीं ढकना चाहिए.
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (अधिमान्य).
- फ़ाइल का आकार 20केबी-50केबी के बीच होना चाहिए.



- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50केबी से ज़्यादा न हो. अगर फ़ाइल का आकार 50 केबी से ज़्यादा है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को एडजस्ट करें.
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि तस्वीरें स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं. यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संपादित कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने से पहले अपना फोटोग्राफ या हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकते हैं.
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित आकार की हो तथा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे.
- यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट/धुंधले हों तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा.
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी को यह जांच कर लेनी चाहिए कि तस्वीरें स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं. यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन संपादित कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने से पहले अपनी फोटोग्राफ या हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकते हैं.
- फोटो अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो तथा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड हो. यदि फोटो के स्थान पर फोटो तथा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड नहीं किए गए तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

#### हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा, छवि:

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करने होंगे.
- **आयाम 140 x 60 पिक्सेल (अधिमान्य)**
- हस्ताक्षर के लिए फ़ाइल का आकार 10केबी – 20केबी के बीच और बाएं अंगूठे के निशान के लिए 20 केबी – 50 केबी के बीच होना चाहिए.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20 केबी से अधिक न हो
- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा.
  - फ़ाइल प्रकार: जेपीजी/ जेपीईजी
  - आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) अर्थात् 3 सेमी \* 3 सेमी (चौड़ाई \* ऊंचाई)
- फ़ाइल का आकार: 20 केबी – 50 केबी
- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से घोषणा-पत्र लिखना होगा.

### फ़ाइल प्रकार: जेपीजी/ जेपीईजी

- आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) अर्थात् 10 सेमी \* 5 सेमी (चौड़ाई \* लंबाई)
- फाइल आकार: 50 केबी – 100
- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं.
- यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बड़े अक्षरों में हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.

### **फोटोग्राफ छवि और हस्ताक्षर को स्कैन करना:**

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें.
- रंग को वास्तविक रंग पर सेट करें.
- स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करें, फिर छवि को अंतिम आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है).
- छवि फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए. उदाहरण के लिए, फ़ाइल का नाम है: image01.jpg या image01.jpeg फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर छवि आयामों की जाँच की जा सकती है.
- MS Windows/MS Office का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी MS Paint या MS Office Picture Manager का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं, जो क्रमशः 50केबी और 20केबी से अधिक नहीं होना चाहिए. किसी भी प्रारूप में स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर को फ़ाइल मेनू में 'सेव एज' विकल्प का उपयोग करके .jpg प्रारूप में सहेजा जा सकता है और 'इमेज' मेनू में क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प [कृपया पिक्सेल आकार के लिए ऊपर बिंदु (i) और (ii) देखें] का उपयोग करके आकार को 50केबी (फोटोग्राफ) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है. इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।

**यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा.

**फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया**

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे.
- संबंधित लिंक “फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें” पर क्लिक करें
- उस स्थान को ब्राउज करें और चुनें जहां स्कैन की गई तस्वीर / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल सहेजी गई है.
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें.
- यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा.
- अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा. अस्पष्ट / धुंधले होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड किया जा सकता है.
- आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते.

#### 15. कदाचार/अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण न दें और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएं. परीक्षा या बाद की प्रक्रिया के समय, यदि कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है (या पाया गया है):

- अनुचित साधनों का प्रयोग करना या
- किसी व्यक्ति द्वारा छद्मवेश धारण करना या छद्मवेश धारण करवाना, या
- iv. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षण(ओं) की सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना या
- v. अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके का प्रयोग करना या
- vi. अनुचित तरीकों से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करना, अथवा
- vii. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, ऐसा उम्मीदवार न केवल आपराधिक अभियोजन का भागी हो सकता है, बल्कि उसके विरुद्ध:
  - क. उस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है
  - ख. बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना.
  - ग. सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही बैंक में शामिल हो चुका है.

16. आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

- i. आवेदकों के पास वैध ई-मेल आईडी होनी चाहिए. यदि उम्मीदवार के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, तो वह एक नई ई-मेल आईडी बना सकता है. यह ई-मेल भर्ती अवधि की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए. भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक उम्मीदवार को सभी पत्राचार इसी ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे.
- ii. आवेदकों को नाबार्ड की वेबसाइट पर एक 'सूचना पुस्तिका' उपलब्ध कराई जाएगी जिसे ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर के साथ डाउनलोड किया जा सकता है.
- iii. सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत आवेदकों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा.
- iv. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को जॉइनिंग के समय अपना मूल जाति प्रमाण पत्र/संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उन्हें साक्षात्कार के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा. आरक्षण का लाभ उठाने वाले अपिव आवेदकों को जॉइनिंग के समय भारत सरकार द्वारा 01-04-2024 को या उसके बाद जारी नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
- v. ऑनलाइन आवेदन जमा करने और/या शुल्क के भुगतान में किसी भी कठिनाई का अनुभव होने पर, अभ्यर्थी <http://cgrs.ibps.in/> पर "अभ्यर्थी शिकायत दर्ज करने और निवारण तंत्र" पर शिकायत भेज सकते हैं.
- vi. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा.
- vii. नाबार्ड के साथ सभी पत्राचार में, आवेदन जमा करते समय प्राप्त पंजीकरण संख्या और 'प्रवेश पत्र' में दर्शाए गए रोल नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए.
- viii. परीक्षा आयोजित किए जाने वाले परिसर के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर या कोई अन्य संचार/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित अपात्रता भी हो सकती है.
- ix. अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर का उपयोग करने या अपने पास रखने की अनुमति नहीं है.
- x. अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ ब्लूटूथ डिवाइस/ पेजर सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती.
- xi. नाबार्ड अभ्यर्थियों को अंक-पत्र उपलब्ध नहीं कराएगा. हालाँकि, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा के अंक और कट-ऑफ आदि नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.
- xii. यह पद नाबार्ड के कर्मचारियों (कर्मचारी अभ्यर्थियों) के लिए भी खुला है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी.
- xiii. इस विज्ञापन और/या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में ही की जा सकेगी और केवल मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरमों के पास ही किसी भी मामले/विवाद पर सुनवाई करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा.

- xiv. यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. पात्रता, लिखित परीक्षा, अन्य परीक्षण और चयन के संबंध में सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम होंगे और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में बैंक द्वारा कोई प्रतिनिधित्व या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- xv. पंजीकृत अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती या ज्वाइनिंग के बाद भी खारिज की जा सकती है यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाई जाती है. इसके अलावा, आवेदकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है. कोई मैनुअल/कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता अनंतिम होगी और मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगी. स्क्रीनिंग और चयन अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर होगा. इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन में सटीक, पूर्ण और सही जानकारी प्रदान करें. अभ्यर्थी द्वारा गलत या झूठी जानकारी देने की स्थिति में, चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसकी अभ्यर्थिता खारिज की जा सकती है.
- xvi. परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अनंतिम है. केवल इस तथ्य से कि अभ्यर्थी को कॉल लेटर जारी कर दिया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि उसकी अभ्यर्थिता को नाबार्ड द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है.
- xvii. बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए या बैंक में पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी पर अभ्यर्थियों के लिए कोई भी नोटिस/संचार, सभी उद्देश्यों के लिए अभ्यर्थी पर संचार की पर्याप्त सेवा मानी जाएगी.

### महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण और ऑनलाइन शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान.	02 अक्तूबर 2024 से 21 अक्तूबर 2024
---	--

मुंबई

तिथि: 02 अक्तूबर 2024

मुख्य महाप्रबंधक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय (राज्य) एवं उनकी आधिकारिक भाषाएँ

क्रम सं.	राज्य	राजभाषा/ राजभाषाएँ
1	आंध्र प्रदेश	तेलुगू
2	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी
3	बिहार	हिन्दी
4	छत्तीसगढ़	हिन्दी
5	गोवा	कोंकणी
6	गुजरात	गुजराती
7	हरियाणा	हिन्दी
8	हिमाचल प्रदेश	हिन्दी
9	जम्मू और कश्मीर	उर्दू, अंग्रेजी
10	झारखंड	हिन्दी
11	कर्नाटक	कन्नडा
12	केरल	मलयालम
13	मध्य प्रदेश	हिन्दी
14	महाराष्ट्र	मराठी
15	मणिपुर	मणिपुरी
16	मेघालय	अंग्रेजी
17	मिजोरम	मिजो
18	नई दिल्ली	हिन्दी
19	ओडिशा	उड़िया
20	पंजाब	पंजाबी
21	राजस्थान	हिन्दी
22	तमिलनाडु	तामिल
23	तेलंगाना	तेलुगू
24	त्रिपुरा	बंगाली/ काक-बराक
25	उत्तर प्रदेश	हिन्दी
26	उत्तराखंड	हिन्दी
27	पश्चिम बंगाल	बंगाली

## परिशिष्ट I

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति.

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (अभ्यर्थी का नाम), पुत्र/पुत्री, \_\_\_\_\_ (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी, \_\_\_\_\_ आयु वर्ष, (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है और यह बताने के लिए कि उनकी उपरोक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है. उन्हें परीक्षा लिखने के लिए लेखक की सहायता की आवश्यकता है.

- उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है.
- यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह \_\_\_\_\_ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है.

### चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशे ष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..... अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

तारीख:

स्थान:



## परिशिष्ट II

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति.

मैं, \_\_\_\_\_ (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला अभ्यर्थी हूँ,  
जिसका रोल नंबर \_\_\_\_\_ (परीक्षा का नाम) है, जो जिले में \_\_\_\_\_ (केंद्र  
का नाम) पर है, \_\_\_\_\_ (राज्य का नाम)। मेरी शैक्षणिक योग्यता \_\_\_\_\_ है.

मैं यह घोषणा करता हूँ कि (लेखक का नाम) उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए लेखक की सेवा प्रदान करेगा. यदि नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार योग्यता नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद के अपने अधिकार और उससे संबंधित दावों को खो दूंगा.

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

